न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2019-071(GCMS2019-00139) RTA223 Magaram n ors Vs Vishnaram etc

1. मगाराम पुत्र केवलराम जाति मेघवाल
2. छोटूराम पुत्र केवलराम जाति मेघवाल
3. किशनाराम पुत्र केवलराम जाति मेघवाल
4. हरूराम पुत्र केवलराम जाति मेघवाल
   निवासीगण शिवपुरी, तहसील लोहावट,
   जिला जोधपुर
5. मोहनराम पुत्र इग्याराम जाति मेघवाल
6. नारायणराम पुत्र इग्याराम जाति मेघवाल
   निवासीगण चन्द्रनगर, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. विशनाराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल
   निवासी शिवपुरी, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
2. जसराज पुत्र सांगाराम के कायममुकामान-
   2.1. सुशीला पत्नी जसराज जाति मेघवाल
   2.2. श्रवण पुत्र जसराज जाति मेघवाल
   2.3. दिनेश पुत्र जसराज जाति मेघवाल
   2.4. गुड्डी पुत्री जसराज जाति मेघवाल
   2.5. संतोषी पुत्री जसराज जाति मेघवाल
   सभी निवासीगण शिवपुरी जम्भेश्वर नगर
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. पप्पुराम पुत्र सांगाराम के कायममुकामान-
   3.1. श्रीमती हीरादेवी पत्नी पप्पुराम जाति मेघवाल
   3.2. पंकज पुत्र पप्पुराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती हीरादेवी पत्नी पप्पुराम जाति मेघवाल)
   3.3. मैना पुत्री पप्पुराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती हीरादेवी पत्नी पप्पुराम जाति मेघवाल)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3.4. महेन्द्र पुत्र पप्पुराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती हीरादेवी पत्नी पप्पुराम जाति मेघवाल)

3.5. पवन पुत्र पप्पुराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती हीरादेवी पत्नी पप्पुराम जाति मेघवाल)

सभी निवासीगण शिवपुरी जम्भेश्वर नगर
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

4. धाऊ पत्नी सांगाराम जाति मेघवाल
5. लीला पुत्री सांगाराम जाति मेघवाल
6. इन्द्रा पुत्री सांगाराम जाति मेघवाल
7. दोणी पुत्री सांगाराम जाति मेघवाल
8. गोरखाराम पुत्र पन्नाराम के कायममुकामान-

8.1. श्रीमती मोहनी पत्नी गोरखाराम जाति मेघवाल

8.2. प्रेमप्रकाश पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल

8.3. रामचन्द्र पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल

8.4. धारूराम पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल

8.5. गौतमचन्द पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल

8.6. गणपतराम पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल

सभी निवासीगण शिवपुरी जम्भेश्वर नगर
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

9. जमना पत्नी इग्याराम जाति मेघवाल
10. पतासी पुत्री इग्याराम जाति मेघवाल

निवासीगण शिवपुरी, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर

11. गीता पत्नी पन्नाराम पुत्री इग्याराम जाति मेघवाल

निवासी मलार रोड, फलोदी
जिला जोधपुर

12. राजस्थान राज्य

जरिये तहसीलदार लोहावट
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी

कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी दिनांक 03 मई 2019
राजस्व वाद संख्या 288/2018 विशनाराम बनाम
सांगाराम के कायममुकामान व अन्य

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री कैलाश मेघवाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री श्रवणसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 12
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 17 नवम्बर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 288/2018 विशनाराम बनाम सांगाराम के कायममुकामान व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 मई 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 188 एवं 92ए के तहत एक राजस्व वाद पेश कर ग्राम शिवपुरी स्थित आराजी खसरा संख्या 2420 रकबा 92 बीघा 11 बिस्वा वादी-रेस्पो. संख्या एक तथा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 11 की शामलाती खातेदारी की होना, उक्त भूमि पर्चा लगान अपने दादा चणनाराम के नाम जारी होना जाहिर करते हुए वादपत्र में अंकित वंशावली के अनुसार वादग्रस्त आराजी में ⅓ हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का, ⅓ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 का और बकाया ⅓

हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 7 से 11 का होना, तदनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से 11 द्वारा परस्पर सहमति से मौके पर भूमि का विभाजन कर लिया जाना जाहिर कर तदनुसार वादी अकेले के ⅓ हिस्सा वाद के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए-बी-सी-डी होना वर्णित किया और इसी अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 12 जुलाई 1999 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाबदावा पेश किया जाकर वादी के वाद का विरोध किया गया। दावे एवं जबाबदावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद उक्त वाद 25 मार्च 2004 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। उक्त निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील/डिक्री/जोधपुर/035/2005 सांगाराम बनाम विशनाराम दिनांक 28 दिसम्बर 2005 को निस्तारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतका श्रीमती तुलछी की दोनों पुत्रियों सहित सभी वारिसान को मूल वाद में बतौर श्रीमती तुलछी के कायममुकामान पक्षकार बनाया जाकर एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर नियमानुसार पुनः विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

अदालत हाजा के उक्त निर्णय के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में पुनः कार्यवाही आरम्भ की गयी और जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 मई 2019 वादी-रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का दावा स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। मामलें के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2420 रकबा 92 बीघा 11 बिस्वा वाके मौजा शिवपुरी का विभाजन किया जाकर वादी-रेस्पो. को कोई हिस्सा दिया हुआ नहीं है और उक्त भूमि पर वादी-रेस्पो. का कब्जा काश्त भी नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि खसरा संख्या 2420 के अलावा ग्राम शिवपुरी में स्थित खसरा संख्या 2435 एवं ग्राम चन्द्रनगर में स्थित खसरा संख्या 2116, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2121, 2227 एवं 2228 की आराजियात भी पक्षकारान की शामलाती है, अतः उक्त सभी खसरान की भूमि का पक्षकारान के मध्य औपचारिक बंटवारा एकसाथ किया जाना कानूनन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने पक्षकारान की सभी शामलाती खातेदारी भूमि का विवरण प्रस्तुत किये बिना मात्र खसरा संख्या 2420 की भूमि में अपना ⅓ हिस्सा जाहिर करते हुए अपने हिस्से की भूमि बाबत विभाजन की मांग की है। शामलाती खातेदारी की सभी आराजियात का विवरण एवं उनके विभाजन की स्थिति दर्शाये बिना अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, आलौच्य वाद के पूर्व भी वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा विभाजन हेतु एक दावा पेश किया गया था, जिसमें ग्राम शिवपुरी के विवादित खसरा संख्या 2420 पर कब्जा व हिस्सा क्लेम नहीं किया गया था। वस्तुतः खसरा संख्या 2420 के किसी भू-भाग पर वादी-रेस्पो. संख्या एक का

राजस्व अपील प्राधिकारी

कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शामलाती आराजियात के सभी खातेदारान के हिस्से विनिश्चित किये बिना ही विभाजन की डिकी पारित करने में गम्भीर तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की गयी है। वादी-रेस्पो. ने पक्षकारान की सभी सामलाती आराजियात का विवरण दिये बिना एवं उनके विभाजन की स्थिति को छुपाते हुए मात्र एक खसरा की भूमि बाबत दावा पेश किया है जो चलने योग्य ही नहीं है। पूर्व में वादी-अपीलाण्ट की ओर से विभाजन हेतु एक अन्य दावा पेश किया गया था, जिसमें खसरा संख्या 2420 वाके मौजा शिवपुरी पर अपना कब्जा एवं हिस्सा होने बाबत कोई क्लेम नहीं किया था। अतः में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी एवं मूल दावा खारिज किये जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि यदि अपीलाण्ट्स समस्त शामलाती आराजियात बाबत विभाजन चाहते है तो इस हेतु नया दावा पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय में मात्र खसरा संख्या 2420 में अपने ⅓ हिस्से को जरिये विभाजन प्राप्त करने हेतु वादी-रेस्पो. संख्या एक ने दावा पेश किया, जो स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 2420 में से वादी-रेस्पो. संख्या एक के हिस्से की भूमि पृथक किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दावे एवं जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी-

1. आया वादी ग्राम शिवपुरी के खसरा संख्या 2420 रकबा 92 बीघा 11 बिस्वा का बंटवाडा वाद पत्र के फिकरा नम्बर दो में दर्ज व वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार करवा कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अलग तरमीम करवाने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी
2. आया वादी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी करवाने का अधिकारी है कि मौजा शिवपुरी के खेत खसरा नम्बर 2420 रकबा 92 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार 10 बीघा 5 बिस्वा में वादी के कब्जा काश्त में किसी भी तरह की दखलदांजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें? .... जिम्मे वादी
3. आया वादी उक्त भूमि का बंटवारा दावा के फिकरा नम्बर दो में दर्ज व वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार भूमि अदालत हाजा मान्यता प्रदान नहीं करती है तो उक्त भूमि का बंटवाडा बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स करवाने का अधिकारी है? .... जिम्मे वादी
4. आया प्रतिवादीगण उक्त पूरी भूमि अपनी खातेदारी की घोषित करवाने के अधिकारी है? ... जिम्मे प्रतिवादीगण
5. दादरसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादी-रेस्पो. सामलाती आराजियात का संवत 2035 में पक्षकारान के मध्य बंटवारा होना और उस बंटवारे के अनुसार खसरा संख्या 2420 में 10 बीघा भूमि उसे प्राप्त होना जाहिर करता है किन्तु इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रकट होता हो कि पक्षकारान के मध्य कब बंटवारा हुआ और किन-किन खसरा नम्बर का बंटवारा किया जाकर किस पक्षकार के हिस्से में किन-किन खसरा नम्बर की कितनी भूमि दी गयी। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब दावा में बिन्दु संख्या एक वाद के पेरा संख्या एक का जबाब देते हुए प्रतिवादीगण की ओर से स्पष्ट अंकित किया गया है कि "... प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त खेत के बदले अन्यत्र खेत दे रखा है ...."। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद की पुष्टि में पीडब्ल्यु-1 के तौर पर वादी-रेस्पो. संख्या एक ने स्वयं के बयान कलमबद्ध कराये है जिसमें जिरह के दौरान खसरा संख्या 2420 के अलावा छः खेत होना स्वीकार करते हुए उनके खसरा नम्बर ध्यान में नहीं होना जाहिर किया है। वादी-पक्ष के गवाह पीडब्ल्यु-2 घमण्डाराम पुत्र बरसिंगाराम आयु 48 साल ने अपनी खातेदारी के खेत का खसरा संख्या 45 होना जाहिर किया एवं जिरह में वादी-रेस्पो. संख्या एक के अन्य खेत होने बाबत अनभिज्ञता प्रकट की। अन्य गवाह पीडब्ल्यु-3 आसुराम पुत्र धूडाराम ने अपने बयान में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2420 एवं रकबा 92 बीघा 11 बिस्वा होना जाहिर किया है किन्तु जिरह में स्वयं अपने खेत के खसरा नम्बर की जानकारी नहीं होता जाहिर किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इसी कम में प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने पर विदित होता है कि गवाह डीडब्ल्यु-1 गोरखाराम पुत्र पन्नाराम, जो कि वादी-रेस्पो. संख्या एक का सगा भाई है, ने अपने दादा चनणाराम के द्वारा किये गये बंटवारे के अनुसार खसरा संख्या 2420 केवलराम के बंट में दिया जाना एवं खसरा संख्या 2435 पन्नाराम के बंट में दिया जाना अपने मूल बयान में जाहिर किया और यह भी कथन किया कि पन्नाराम के देहान्त के बाद खसरा संख्या 2435 पर उक्त गवाह गोरखाराम, व उसके भाई विशनाराम व सोनाराम पिसरान पन्नाराम का कब्जा है। जिरह के दौरान भी उक्त गवाह ने खसरा संख्या 2420 पर वादी-रेस्पो. संख्या एक विशनाराम का कब्जा होने से इंकार किया है। गवाह पीडब्ल्यु 2 मगाराम पुत्र केवलराम द्वारा भी जिरह में खसरा संख्या 2420 पर वादी-रेस्पो. विशनाराम का कब्जा नहीं होना जाहिर करते हुए मौका-कमिश्नर के मौका रिपोर्ट हेतु मौके पर आने के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी है और मौका रिपोर्ट पर कमिश्नर द्वारा उसके हस्ताक्षर कराये जाने के तथ्य का भी खण्डन किया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर खसरा संख्या 2420 के अलावा भी पक्षकारान की अन्य सामलाती आराजियात होने के तथ्य की पुष्टि होती है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत बाबत समुचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना एवं साक्ष्य के आधार पर पक्षकारान की अन्य सामलाती आराजियात बाबत प्रकट हुए तथ्यों को नजरदांज करते हुए तनकी संख्या एक व तीन का निस्तारण वादी के पक्ष में करते हुए आराजी खसरा संख्या 2420 बाबत उसके विभाजन का मुश्तहक मान लिया गया है। जिससे अदालत हाजा सहमत नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिवत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने के पूर्व वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा का मुश्तहक नहीं मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित तनकी संख्या दो वादी-रेस्पो. संख्या एक के खिलाफ निर्णित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है।

तनकी संख्या एक व तीन के संदर्भ में पक्षकारान की समस्त सामलाती भूमि बाबत वर्तमान राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात, पूर्व में पक्षकारान के मध्य विभाजन होने अथवा नहीं होने के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष कर वादी-रेस्पो. संख्या एक को खसरा संख्या 2420 में हिस्से की एवज में अन्य खसरा नम्बर में भूमि दिये जाने संबंधित तथ्य बाबत विनिश्चय किये बिना तनकी संख्या चार का न्यायोचित निस्तारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर तनकी संख्या एक व तीन के साथ तनकी संख्या चार बाबत पुनः समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर निष्कर्ष पारित किया जाना अपेक्षित है।

आलौच्य प्रकरण में वादग्रस्त खसरा संख्या 2420 के अलावा ग्राम शिवपुरी में स्थित खसरा संख्या 2435 एवं ग्राम चन्द्रनगर में स्थित खसरा संख्या 2116, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2121, 2227 एवं 2228 भी पक्षकारान की शामलाती खातेदारी के होना अपील मीमो के पृष्ठ संख्या चार बिन्दु संख्या तीन में अंकित किया गया है, जिसका रेस्पो. की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। यदि उक्त सभी खसरान की भूमि का समय-समय पर अलग-अलग वाद की कार्यवाही के जरिये पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन होता है तो आराजियात के अनावश्यक विखण्डन एवं

अपील प्राधिकारी

प्रत्येक पक्षकार को देय भू-भाग तक आवागमन हेतु रास्ते बाबत तुलनात्मक अधिक कृषि भूमि के उपयोग की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि एक ही वाद के जरिये एक साथ उक्त सभी खसरा नम्बरान की आराजियात का पक्षकारान के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन किया जाता है कि निश्चय ही प्रत्येक पक्षकार को अपने हिस्से में प्राप्त होने वाला रकबा यथासम्भव एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और आवागमन हेतु रास्ते के लिए कम से कम कृषि भूमि का उपयोग करना पडेंगा जिससे समग्र आराजियात का कम से कम विखण्डन होगा। साथ ही भविष्य में प्रत्येक पक्षकार को अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य हेतु नवीनतम् साधनों एवं उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने में सुविधा रहेगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(5) के अनुसार एक से अधिक शामलाती आराजियात के संबंध में विभाजन हेतु एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य वादकरणों की बहुलता (multiplicity of litigation) को नियन्त्रित करने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिकोण से अदालत हाजा अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस कथन से सहमत है कि आलौच्य मामले में वादग्रस्त खसरा संख्या 2420 के साथ ही साथ इन्हीं पक्षकारान की अन्य शामलाती आराजियात के ग्राम शिवपुरी में स्थित खसरा संख्या 2435 एवं ग्राम चन्द्रनगर में स्थित खसरा संख्या 2116, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216,

अपील प्राधिकारी

2217, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2121, 2227 एवं 2228 का भी पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एक ही वाद के जरिये बंटवारा कर दिया जावे।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 मई 2019 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान की समस्त शामलाती भूमि बाबत आवश्यकतानुसार वादी-पक्ष से संशोधित वाद अथवा प्रतिवादी-पक्ष से संशोधित जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्राप्त कर तदनुसार विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.11.22

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर